प्रकाशनार्थ अनुमोदित

**उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़: बिलासपुर**

**युगल पीठ**

---

**कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और**
**माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

---

**रिट याचिका क्रमांक 5051/ 2006**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**याचिकाकर्ता** : अनूप कुमार ध्रुव, पिता चेतन सिंह ध्रुव, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी नगरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

**उत्तरवादीगण** :

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

---

**उपस्थिति:**
श्री वी.आर. तिवारी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।
श्री विनय हारित, विद्वान उप महाधिवक्ता साथ में श्री उत्कर्ष वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता।

---

**मौखिक आदेश**

(14 सितंबर, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य तकनीकी महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए आयोजित प्री–चिकित्सा परीक्षा, 2006 में, याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में 46 वां रैंक और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में 1797 वां रैंक प्राप्त किया था। उसकी संबंधित योग्यता को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिलासपुर में प्रवेश देने के लिए दिनांक 14.07.2006 को आयोजित पहली काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग में, याचिकाकर्ता को पेमेंट कैटेगरी (सशुल्क श्रेणी) के तहत प्रवेश की पेशकश की गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु, आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल होने में विफल रहा। जब मामला इस स्थिति में था, तब यह बताया गया कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से और बिना किसी कॉल–लेटर के दिनांक 23.08.2006 को आयोजित दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने गया, और दूसरी काउंसलिंग में भाग लिए बिना उसने शुल्क जमा कर दिया और फ्री सीट श्रेणी के तहत प्रवेश चाहा, लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने न्यायालय के हस्तक्षेप और उत्तरवादीगणों को उसे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित फ्री सीट पर प्रवेश देने का निर्देश देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता की सापेक्ष योग्यता को देखते हुए, उसे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित फ्री सीटों पर प्रवेश मिल गया होता और इसलिए, उत्तरवादीगणों ने उसे दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित न करके और उसे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए

आरक्षित फ्री सीटों पर प्रवेश न देकर विधिक त्रुटि की है। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **मृदुल धर बनाम भारत संघ**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कंडिका 6 के निर्धारण का अवलंब लिया। आदेश की कंडिका 6 इस प्रकार है:

> "6. निरंतर दूसरी काउंसलिंग केवल उन लोगों तक सीमित होगी, जो योग्यता के अनुसार, देश के किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस कोर्स में पहले से ही प्रवेश नहीं ले चुके हैं। यदि किसी छात्र ने पहले ही वहां प्रवेश ले लिया है, तो ऐसे छात्र को दोबारा काउंसलिंग की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता, ताकि वह किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पाने की दृष्टि से चिकित्सा महाविद्यालय बदल सके। वे छात्र, जिन्होंने पहले ही आयोजित काउंसलिंग के परिणामस्वरूप डेंटल महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है, हालांकि, उन्हें अपनी प्रावीण्यता की स्थिति के आधार पर एम्बीबीएस में प्रवेश का मौका पाने के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, परिणामस्वरूप, डेंटल महाविद्यालयों में कुछ सीटें रिक्त हो सकती हैं। उन्हें अखिल भारतीय कोटे की रैंकिंग में योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि एमबीबीएस में प्रवेश पाने वालों को महाविद्यालय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन्होंने डेंटल महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उन्हें भी एक डेंटल महाविद्यालय से दूसरे डेंटल महाविद्यालय में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निरंतर काउंसलिंग के बारे में जानकारी डीजीएचएस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के माध्यम से सभी संबंधितों को दी जाएगी। निरंतर काउंसलिंग दिनांक 08.09.2004 तक समाप्त हो जानी चाहिए। छात्रों को दिनांक 13.09.2004 तक शामिल होना चाहिए। इस समय सारणी का पालन करना आवश्यक है ताकि शेष रिक्त सीटें वापस लौट सकें और राज्य द्वारा भरी जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2005) 2 SCC 88

सकें और केवल न्यूनतम संख्या में सीटें ही व्यपगत हों। राज्य भी समय पर कार्रवाई करेगा ताकि सीटें काफी हद तक व्यपगत न हों और छात्रों द्वारा सभी प्रवेश प्रक्रिया और शामिल होने की प्रक्रिया  दिनांक 30.09.2004 तक समाप्त हो जाए।"

(3) हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त अवलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उनकी दलील का समर्थन करने में कैसे मदद करेंगे। इसके विपरीत, हमारी सुविचारित राय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश की कण्डिका 6 में की गई टिप्पणियां याचिकाकर्ता के विरुद्ध हैं। यह विधिक आवश्यकता नहीं है कि भले ही किसी उम्मीदवार को किसी चिकित्सा महाविद्यालय में सामान्य श्रेणी या आरक्षित श्रेणी के तहत प्रवेश दिया गया हो और ऐसा छात्र ऐसा प्रवेश स्वीकार कर लेता है परंतु चिकित्सा महाविद्यालय में शामिल नहीं होता है, तो उसे किसी अन्य महाविद्यालय और किसी अन्य श्रेणी के तहत उसके प्रवेश पर विचार करने के लिए बाद की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फिर से बुलाया जाना चाहिए। आदेश की कण्डिका 6 में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एमबीबीएस में प्रवेश पाने वालों को महाविद्यालय बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में, इसका अर्थ यह भी है कि जिन छात्रों को किसी भी श्रेणी/महाविद्यालय के तहत प्रवेश की पेशकश की जाती है, वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें किसी अन्य श्रेणी या किसी अन्य महाविद्यालय के तहत विचार किया जाना चाहिए था। यदि ऐसे दावों की अनुमति दी जाती है, तो किसी भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के कैलेंडर के भीतर कोई भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, और इसके परिणामस्वरूप घोर अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता–छात्र को फ्री सीट श्रेणी के तहत प्रवेश देने के लिए उत्तरवादीगणों को निर्देश जारी करने और हमारे द्वारा हस्तक्षेप किये जाने  का कोई भी आधार बनाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है। कोई शुल्क नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-  सही/-

**मुख्य न्यायाधीश** **सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur